

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2012-पार्ट-I

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2012

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.10.2012 के क्रमांक 18 व 20 पर अंकित निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित/ परिवर्तित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	148/2012	डॉ० सी. पी. जुयाल सहायक निदेशक मत्स्य (योजना) मत्स्य निदेशालय राजस्थान, जयपुर	जीए/III/टी-2 /63 विद्याधरनगर	31.1.2023
2.	152/2012	श्री राजेन्द्र व्यास सहायक निदेशक महिला रोजगार कार्यालय जयपुर	जीए/III/टी-2 /90 विद्याधरनगर	31.7.2019

राज्यपाल की आज्ञा से



(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
- कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
- निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, महिला रोजगार कार्यालय, जयपुर।
- संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटि से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटि द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
- अधिशापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० विद्याधरनगर, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड में चस्पा करावें।
- डॉ० सी. पी. जुयाल, सहायक निदेशक, मत्स्य (योजना) मत्स्य निदेशालय राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
- श्री राजेन्द्र व्यास, सहायक निदेशक, महिला रोजगार कार्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
- संबंधित अधिकारीगण।
- निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव